संख्या– /IV-3/2016–04(138)/2015

प्रेषक,

डी एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्ध कुम्भ मेला–2016,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः16 जुलाई, 2016

विषय–अर्द्ध कुम्भ मेला–2016 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सूचना विभाग की कार्ययोजना हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–336/अ0कु0मे0–2016/ ले0अ0/2016–17, दिनांक 20.06.2016 तथा शासनादेश संख्या–3048/IV-3/2016–04(138)/2015, दिनांक 16.02.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.06.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत कार्य हेतु शासन द्वारा स्वीकृत लागत रू0 1498.97 लाख के सापेक्ष उक्त कार्य रू0 6,85.00 लाख में ही पूर्ण हो जाना सम्भावित है।

2– उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16.02.2016 के द्वारा अर्द्ध कुम्भ मेला–2016 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सूचना विभाग की कार्ययोजना के संबंध में धनराशि रू0 1498.47 लाख (रू0 चौदह करोड़ अट्ठानबे लाख सैन्तालीस हजार मात्र) की स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) को समायोजित करते हुये अवशेष समस्त धनराशि रू0 185.00 लाख (रू0 एक करोड़ पिचासी लाख मात्र) का व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की जाती है:–

(i) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि की स्वीकृति गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iv) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय व कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाय।

(v) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219/2006, दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

(vi) प्रश्नगत कार्य का गहन निरीक्षण एवं सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा भी किया जाएगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, वित्तीय हस्त पुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 की अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय– 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित–0107–अर्द्ध कुम्भ मेला, 2016 की मानक मद संख्या–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के नामे डाला जाएगा।

4– एलॉटमैण्ट आई0डी0 संख्या–एस0 1608/3052/ एवं एच0 1608/32585 दिनांक 17 अगस्त, 2016 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

भवदीय,

(डी0 एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–1275(1)/IV-3/2016–04(138)/2015 तद्दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3. सचिव, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, राजपुर रोड देहरादून।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।